न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

मि0न0 –36 /2017

अनवान :

1. जगदीश पुत्र रामजीलाल जाति बिश्नोई निवासी करनपुरा तहसील
   जिला हनुमानगढ़।

बनाम

1. नरसी पुत्र अमरसिंह जाति कुम्हार निवासी बीराण तहसील भादरा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।
3. ओमप्रकाश पुत्र रामजीलाल जाति बिश्नोई निवासी करनपुरा तहसील भा
4. भूपसिंह पुत्र रामजीलाल जाति बिश्नोई निवासी करनपुरा तहसील भादरा

– अप्रा

आवेदन पत्र बाबत स्वीकृत करने रास्

अन्तर्गत 8(2) राज.कोलोनाईशन कण्डि

सपठित धारा 251ए राज.काश्तकारी अधि

उपस्थित : वकील श्री विनोद पूनियां

वकील श्री रोहताश पारीक – अप्रा

निर्णय *दिनांक : 30.1.1*

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि चक 2 बीएचपी के व खाता संख्या 16/15 के मु.न. 23 के किला नं. 14 ता 16, मु.न. 24 के किला नं. 20, मु.न. 28 के किला नं. 23 ता 25, मु.न. 29 के किला नं. 21, 22, मु.न. 30 के नं. 1, मु.न. 31 के किला नं. 3 ता 8 की कुल 6.096 हैक्टर नहरी खातेदारी कृषि प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 3 व 4 की बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदारी दर्ज है

प्रार्थी की उक्त खातेदारी के दक्षिणी तरफ चिपते हुये चक 2 बीएचपी के ही 23 के किला नं. 25, मु.न. 24 के किला नं. 21, मु.न. 35 के किला नं. 1 व 2 मु.न के किला नं. 5 की कुल 1.265 हैक्टर बारानी 1.176 हैक्टर गैरमुमकिन खाला 0. हैक्टर, गैरमुमकिन रास्ता 0.039 हैक्टर अप्रार्थी नरसी की खातेदारी स्थित है। प्रम प्रति जमाबंदी अप्रार्थीगण की खातेदारी की संलग्न आवेदन है।

प्रार्थी अपनी उक्त खातेदारी में आवागमन अप्रार्थी नरसी के नाम दर्ज खात चक 2 बीएचपी के मु.न. 36 के किला नं. 5 के दक्षिणी तरफ पश्चिम से पूर्व स्वीकृत

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

रास्ता से होकर इसी किला नं. 5 के पश्चिमी तरफ दक्षिणी से उतर की तरफ चलकर अप्रार्थी नरसी की ही चक 2 बीएचपी के मु.न. 23 के किला नं. 25 के पश्चिमी तरफ दक्षिण से उत्तर की तरफ चलकर अपनी खातेदारी चक 2 बीएचपी के मु.न. 23 के किला नं. 16 में प्रेवश करता है। परन्तु मु.न. 36 के किला नं. 5 के पश्चिमी तरफ व मु.न. 23 के किला नं. 25 में पश्चिमी तरफ दक्षिण से उतर में उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत नही है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी की खातेदारी में रास्ता के संबंध में नक्शा नजरी संलग्न आवेदन है।

प्रार्थी की उक्त खातेदारी में आवागमन की यही एक मात्र रास्ता है जिससे होकर ही प्रार्थी सदामत से अपने खेत में आवागमन करता आ रहा है परन्तु उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत नही होने के कारण अप्रार्थी ने उक्त रास्ता को अवरूद्ध करने की धमकी दी है। यदि वे ऐसा करने में कामयाब हो जाते है तो प्रार्थी अपनी खातेदारी में आवागमन नही कर पायेगा एवं काश्त नही कर पायेगा तथा प्रार्थी की खातेदारी काश्त के अभाव मे बंजर हो जायेगी।

प्रार्थी की उक्त खातेदारी में राजस्थान कोलोनाईजेशन कण्डिसंश के प्रावधान लागू होते है। प्रार्थी अपनी उक्त खातेदारी में आवागमन के लिये चक 2 बीएचपी के मु. न. 36 के किला नं. 5 व मु.न. 23 के किला नं. 25 में पश्चिमी तरफ दक्षिण से उतर की तरफ दोनों किलों में से एक एक गट्ठा यानी सवा आठ फिट चोड़ा एवं तीन सो तीस फिट लम्बाई में रास्ता स्वीकृत करवाने का अधिकारी है। उक्त रास्ता के बदले प्रार्थी अपनी खातेदारी मे से अप्रार्थीगण की खातेदारी के चिपते हुये भूमि देने के लिये तत्पर एवं तैयार है।

वादभूमि की लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार होने के कारण उसे जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा पक्षकार अप्रार्थी बनाया गया है। इसके अलावा तहसीलदार भादरा के खिलाफ कोई अनुतोष नही चाहा गया है।

प्रार्थी ने अप्रार्थी को चक 2 बीएचपी के मु.न. 36 के किला नं. 5 व मु.न. 23 के किला नं. 25 में से पश्चिमी तरफ से चलने वाले रास्ता को अवरूद्ध नही करने एवं उक्त रास्ता को राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत करवाने के लिये कहा तो उन्होने ऐसा करने से कल साफ इन्कार कर दिया। लिहाजा यही बनाय मुखास्मत है।

अप्रार्थीगण सं. 3 व 4 भी इसी रास्ता से जाता है परन्तु आवेदन पत्र पेश करने के समय उपस्थित नही होने के चलते उन्हे तरतीबी अप्रार्थीगण बनाया गया है।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिऐ नोटिस तलब किया गया। नोटिस तामिल होने के उपरान्त अप्रार्थी सं0 1 ने इस न्यायालय में उपस्थित आकर अपना जवाब पेश किया तथा लिखित कथन किया कि रास्ता के बदले भूमि दी जाती है तो उक्त रास्ता स्वीकृत करने में कोई आपत्ति एतराज नही है। अप्रार्थी सं0 2 पेरोकार राज फार्मल पार्टी होने के कारण जबाब की आवश्यकता नहीं है। अप्रार्थीगण संख्या 3 व 4 को वकील प्रार्थी ने तर्क किया।

बहस वकील उभय पक्षकारान सुनी गई।

हस्तगत प्रकरण में हमारे द्वारा पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी ने चक 2 बीएचपी के मु.न. 23 के किला नं. 16 में प्रवेश करने के लिये अप्रार्थी नरसी की चक 2 बीएचपी के मु.न. 36 के किला नं. 5 व मु.न. 23 के किला नं. 25 में पश्चिमी तरफ दक्षिण से उतर की तरफ एक एक बिस्वा अर्थात तीन सो तीस फिट लम्बाई एवं सवा आठ फिट चोड़ाई में रास्ता स्वीकृत करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है। चूंकि प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 के मध्य आपसी सहमति से राजीनामा हो चुका है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251ए सपठित धारा 8(2) कॉलोनाईजेशन एक्ट का स्वीकार किया जाता है तथा चक 2 बीएचपी के मु.न. 36 के किला नं. 5 व मु. न. 23 के किला नं. 25 में पश्चिमी तरफ दक्षिण से उतर की तरफ एक एक बिस्वा अर्थात तीन सो तीस फिट लम्बाई एवं सवा आठ फिट चोड़ाई में रास्ता मंजूर किया जाता है एवं अप्रार्थी को रास्ता में आई भूमि के बदले में चक 2 बीएचपी मु0नं0 23 के किला नं0 16 के दक्षिण की ओर पूर्व से पश्चिमी दो बिस्वा कृषि भूमि प्रार्थी जगदीश के हिस्सा में से कम की जाकर अप्रार्थी नरसी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में रास्ता का अंकन किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.1.19........ को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला हनुमानगढ)
उपखण्ड अधिकारी
भादरा जिला हनुमानगढ़